

॥ सूचना ॥

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर छ.ग. में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यालय विज्ञापन क्रमांक 9779 / स्था.प्रशा / सिम्स / 18 बिलासपुर दिनांक 14.09.2018 द्वारा संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिससे प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत मेरिट सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी किया जाता है।

Sd:-
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर, छ.ग.



अधिकारी कार्यालय
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शहर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001

FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,
Website: www.cimsbilaspur.in email- deancims@gmail.com

क्र. ३५७३/स्था.प्रशा./सिम्स/बिलासपुर/20

बिलासपुर, दिनांक २३/०३/२०२०

आदेश

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (विकित्सा महाविद्यालय) सिम्स बिलासपुर छ.ग. में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को निश्चित समेकित वेतन प्रतिमाह के तहत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में तैयार किए गए मेरिट सूची अनुसार उक्त पद पर नियमित/तदर्थ नियुक्ति होने या पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	नाम / पिता या पति का नाम	चयन संवर्ग	पदनाम	समेकित वेतन
01	श्री खगेश्वर सिंह/ श्री देव सिंह	अ.ज.जा./पुरुष	स्टोर कीपर	12675/-
02	कु. कमलेश पैकरा/ श्री चतुर सिंह	अ.ज.जा./महिला	स्टोर कीपर	12675/-
03	कु. सुमन राज/ श्री अमृत लाल राज	अ.ज.जा./महिला	स्टोर कीपर	12675/-

संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं—

01. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ-09-01/2012/01-13 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।
02. उक्त संविदा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह के वेतन जमा किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
03. उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
04. उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अथवा आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेंगे।
05. संविदा नियम 2012 के बिन्दु 15 (05) अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजित सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन विमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा कि कर्मचारी द्वारा किसी योजना का वरण किया गया है।
06. चयनित उम्मीदवार को पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करने के समय संस्था प्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. पदभार ग्रहण हेतु अर्हता संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों दो प्रति में नये फोटोग्राफ जमा किया जाना अनिवार्य है। अर्हता उपयुक्त होने पर ही संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
08. आपके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी पाए जाने पर आपकी संविदा सेवा उक्त तिथि से बिना सूचना के स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
09. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरे कैलेण्डर वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश 03 दिनों के एच्छिक अवकाश का पात्र होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति देने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की गणना पूर्ण माह के लिये अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

अधिकारी 23/03/2020

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान


बिलासपुर, छ.ग.

क्रमांक / 3574-४२
स्था.प्रशा./ सिस्स/ बिलासपुर/ 20

दिनांक 23/03/2020

प्रतिलिपि:-

01. सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर, सभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. चिकित्सा अधीक्षक सिस्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
05. कार्यालयीन लेखा शाखा सिस्स महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. संबंधित श्री खगेश्वर सिंह पिता— श्री देव सिंह पता—ग्रा.—बुढ़ियापाली, पोस्ट—सोहागपुर, तह—करतला, थाना—उरगा, जिला—कोरबा, पिन— 495671 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
07. संबंधित कु. कमलेश पैकरा, पिता— श्री चतुर सिंह, पता— ग्रा—बिरकोना पौसरा, पो.—बांकीमोंगरा, तह—कटघोरा जिला— कोरबा, छ.ग. पिन कोड— 495447, मो. नं—8817766839 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. संबंधित कु. सुमन राज, पिता— श्री अमृत लाल राज, पता— एम.आई.जी.—बी/49, चंदेला नगर, रायपुर नाका, रिंग रोड—2 बिलासपुर छ.ग. बिलासपुर, छ.ग., पिन— 495001 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. कार्यालयीन प्रति।


अधिकारी
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान
बिलासपुर, छ.ग.



अधिष्ठाता कार्यालय
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001

**FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,
Website: www.cimsbilaspur.in email- deancims@gmail.com**

क्र. ३५८६ स्था. प्रशा. / सिम्स / बिलासपुर / २०

बिलासपुर, दिनांक २३।०३।२०२०

// आदेश //

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (चिकित्सा महाविद्यालय) सिम्स बिलासपुर छ.ग. में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को निश्चयत समेकित वेतन प्रतिमाह के तहत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में तैयार किए गए मेरिट सूची अनुसार उक्त पद पर नियमित/ तदर्थ नियुक्ति होने या पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	नाम / पिता या पति का नाम	चयन संवर्ग	पदनाम	समेकित वेतन
01	श्री पुष्पराज ठाकुर/ श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर	अ.ज.जा.	लैब अटेंडेंट	11700/-
02	कुमारी गनेशिया/ श्री भगवान सिंह	अ.ज.जा. (महिला)	लैब अटेंडेंट	11700/-
03	मंजूलता/ श्री रामफल गुरुजी	अ.जा.(महिला).	लैब अटेंडेंट	11700/-
04	श्रीमति शारदा कौशिक/ श्री राजेन्द्र कुमार कौशिक	अ.पि.व. (महिला).	लैब अटेंडेंट	11700/-
05	श्री गौकर्ण कौशिक/ श्री नंदराम कौशिक	अ.पि.व.	लैब अटेंडेंट	11700/-

संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं—

- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-09-01/2012/01-13 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।
- उक्त संविदा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह के वेतन जमा किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात् चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अथवा आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेंगे।
- संविदा नियम 2012 के बिन्दु 15 (05) अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजित सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बिमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा कि कर्मचारी द्वारा किसी योजना का वरण किया गया है।
- चयनित उम्मीदवार को पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करने के समय संस्था प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण हेतु अहंता संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों दो प्रति में नये फोटोग्राफ जमा किया जाना अनिवार्य है। अहंता उपयुक्त होने पर ही संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।

08. आपके द्वारा प्रस्तुत समर्त दस्तावेज एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी पाए जाने पर आपकी संविदा सेवा उक्त तिथि से बिना सूचना के स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
09. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरे कैलेण्डर वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश 03 दिनों के एच्छक अवकाश का पात्र होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति देने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की मण्डा पूर्ण माह के लिये अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर, छ.ग.

दिनांक 23/03/2020

3587-97
क्रमांक / स्थान प्रशा. / सिम्स / बिलासपुर / 20
प्रतिलिपि:-

01. सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. चिकित्सा अधीक्षक सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
05. कार्यालयीन लेखा शाखा सिम्स महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. संबंधित श्री पुष्पराज ठाकुर, पिता/पति – श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर, पता-ग्राम/पोस्ट-रानीपरतेवा, तह-छुरा, जिला-गरियाबंद, पिन-493996, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
07. संबंधित कुमारी गनेशिया, पिता/पति – श्री भगवान सिंह, पता- ग्राम-धनरास, पोस्ट-करगीकला, तह-कोटा, जिला-बिलासपुर, पिन-495113, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. संबंधित मंजूलता, पिता/पति-श्री रामफल गुरुजी, पता-ग्राम/पोस्ट-नावापारा, रत्नपुर कोटा, जिला-बिलासपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. संबंधित श्रीमति शारदा कौशिक पिता/पति – श्री राजेन्द्र कुमार कौशिक, पता-के.ओफ-दयाराम कौशिक, कौशिक निवास, एम-4 के पीछे, नर्मदा विहार, यदुनंदन नगर तिफरा बिलासपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. संबंधित गौकर्ण कौशिक, पिता/पति – श्री नंदराम कौशिक, पता-माता चौरा गली नं.-5 (एस.बी.टी. कॉलेज) कुटुदण्ड बिलासपुर, पिन-495001, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. कार्यालयीन प्रति।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर, छ.ग.



अधिष्ठाता कार्यालय
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001

FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,
 Website: www.cimsbilaspur.in email- deancims@gmail.com

क्र. २५७८ / स्था. प्रशा. / सिम्स / बिलासपुर / २०

बिलासपुर, दिनांक २३/०३/२०२०

आदेश

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (चिकित्सा महाविद्यालय) सिम्स बिलासपुर छ.ग. में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को निश्चित समेकित वेतन प्रतिमाह के तहत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में तैयार किए गए मेरिट सूची अनुसार उक्त पद पर नियमित/तदर्थ नियुक्ति होने या पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	नाम / पिता या पति का नाम	चयन संवर्ग	पदनाम	समेकित वेतन
01	कुमारी कमलेश बघेल / श्री कनक लाल	अनारक्षित	प्लास्टर टेक्नीशियन	18655/-
02	श्री ओम प्रकाश बंजारे / श्री पूरन लाल बंजारे	अनारक्षित	प्लास्टर टेक्नीशियन	18655/-
03	श्री राम कुमार सिदार / वेदराम सिदार	अ.ज.जा.	प्लास्टर टेक्नीशियन	18655/-
04	श्री गौतम कुमार कौशल / श्री रामायण प्रसाद कौशल	अ.जा.	प्लास्टर टेक्नीशियन	18655/-

संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं—

01. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-09-01/2012/01-13 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।
02. उक्त संविदा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह के वेतन जमा किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
03. उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात् चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
04. उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अथवा आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगे।
05. संविदा नियम 2012 के बिन्दु 15 (05) अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजित सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन विमा पैशान योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा कि कर्मचारी द्वारा किसी योजना का वरण किया गया है।
06. चयनित उम्मीदवार को पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करने के समय संस्था प्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. पदभार ग्रहण हेतु अहंता संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ दो प्रति में नये फोटोग्राफ जमा किया जाना अनिवार्य है। अहंता उपयुक्त होने पर ही संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
08. आपके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी पाए जाने पर आपकी संविदा सेवा उक्त तिथि से बिना सूचना के स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

09. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरे कैलेण्डर वर्ष में 15 दिनों के आक्रिमिक अवकाश 03 दिनों के एछिक अवकाश का पात्र होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति देने अथवा सेवामुक्त होने पर आक्रिमिक अवकाश की गणना पूर्ण माह के लिये अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

अधिकारी

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर, छ.ग.

दिनांक २३/०३/२०२१

क्रमांक / ३५९९-३६०८
प्रतिलिपि:- / स्था.प्रशा. / सिम्स / बिलासपुर / 20

- सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर, सभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- चिकित्सा अधीक्षक सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
- कार्यालयीन लेखा शाखा सिम्स महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित कुमारी कमलेश बघेल पिता-- श्री कनक लाल, पता--ग्राम-मटियारी, पोस्ट-जांजी, जिला-बिलासपुर, पिन-495550 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- संबंधित श्री ओम प्रकाश बंजारे, पिता-- श्री पूरन लाल बंजारे, पता-- सेक्टर 07, सड़क नं.-39, क्वाटर नं. - 4(ए), भिलाई (दुर्ग), पिन-490006 छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- संबंधित श्री राम कुमार सिद्धार, पिता-- वेदराम सिद्धार, पता-- ग्राम-लखाली, पोस्ट-बम्हानीडीह, तह-चांपा, जिला-जांजगीर चांपा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- संबंधित श्री गौतम कुमार कौशल, पिता-- श्री रामायण प्रसाद कौशल, पता-- ग्राम-पासीद, पोस्ट-बिटकूली बाजार, तह-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार, छ.ग. पिन-493118 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- कार्यालयीन प्रति।

अधिकारी

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर, छ.ग.



अधिष्ठाता कार्यालय
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001

FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,
Website: www.cimsbilaspur.in email- deancims@gmail.com

क्र.3609 / रथा.प्रशा./ सिम्स / बिलासपुर/20

बिलासपुर, दिनांक २३।०३।२०२०

आदेश

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (चिकित्सा महाविद्यालय) सिम्स बिलासपुर छ.ग. में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को निश्चित समेकित वेतन प्रतिमाह के तहत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में तैयार किए गए मेरिट सूची अनुसार उक्त पद पर नियमित/तदर्थ नियुक्ति होने या पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र	नाम / पिता या पति का नाम	चयन संवर्ग	पदनाम	समेकित वेतन
01	श्री पुनीत राम खूंटे / स्व. श्री दरस राम खूंटे	अनारक्षित	पंप अटेंडेंट	11700/-
02	श्री भानूप्रताप / श्री सिरिज सिंह	अ.ज.जा	पंप अटेंडेंट	11700/-

संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं—

- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-09-01/2012/01-13 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।
- उक्त संविदा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह के वेतन जमा किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात् चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अथवा आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेंगे।
- संविदा नियम 2012 के बिन्दु 15 (05) अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजित सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बिमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा कि कर्मचारी द्वारा किसी योजना का वरण किया गया है।
- चयनित उम्मीदवार को पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करने के समय संस्था प्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण हेतु अहंता संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों दो प्रति में नये फोटोग्राफ जमा किया जाना अनिवार्य है। अहंता उपयुक्त होने पर ही संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी पाए जाने पर आपकी संविदा सेवा उक्त तिथि से बिना सूचना के स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरे कैलेण्डर वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश 03 दिनों के एच्छिक अवकाश का पात्र होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति देने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की गणना पूर्ण माह के लिये अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

०६।०३।२०२०

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

६ बिलासपुर, छ.ग.

३६१०-१७

क्रमांक/ /स्था.प्रशा./सिम्स/बिलासपुर/२०

दिनांक २३/०३/२०२०

प्रतिलिपि:-

०१. सचिव स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
०२. संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
०३. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
०४. चिकित्सा अधीक्षक सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
०५. कार्यालयीन लेखा शाखा सिम्स महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
०६. संबंधित श्री पुनीत राम खूटे पिता— स्व. श्री दरस राम खूटें, पता—मु. व पो— कैथा व्हाया— बिरा, तह— हसौद, जिला— जांजगीर चांपा, छ.ग. पिन— ४९५६६१ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
०७. संबंधित श्री भानूप्रताप, पिता— श्री सिरिज सिंह, पता— मंजिद पारा, करगी रोड, कोटा, तह— कोटा, जिला—बिलासपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
०८. कार्यालयीन प्रति।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर, छ.ग.